मार्किंग स्कीम

कक्षा 11

लोक प्रशासन

क्रम संख्या	प्रश्न	अंक
1	वित् मंत्रालय	1
2	14 दिन	1
3	प्रधान मंत्री	1
4	5 वर्ष	1
5	गाँव	1
6	D उपर्युक्त सभी	1
7	22 जिले	1
8	D उपर्युक्त सभी	1
9	D 30	1
10	C चार	1
11	A दो प्रकार	1
12	C संचित निधि	1
13	B राजस्थान	1
14	मुख्यमंत्री	1
15	संगठन के सभी कर्मचारियों का उतरदायित्व निश्चित कर दिया जाता है	1
16	समन्वय करना कठिन	1
17	कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना	1
18		1
19		1
20		1
21	1. लोक प्रशासन का उद्देश्य सेवा होता है जबकि निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना है 2.लोकप्रशासन का क्षेत्र व्यापक और प्रभाव होता है जबकि निजी प्रशासन सीमित क्षेत्र तथा अल्पकालीन प्रभाव होता है	2

Downloaded from cclchapter.com

22	लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र अध्ययन विषय के रूप में जन्म 1887 में सयुंक्त राज्य अमेरिका में हुआ था	2
23	1 . कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना 2. आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करना	2
24	1. विधान सभा में किसी भी राजनीतिक दल लो स्पस्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है 2. राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है	2
25	1. अर्थ शास्त्र का सम्बन्ध केवल आर्थिक क्रियाओं से है जबकि लोकप्रशासन का क्षेत्र व्यापक है 2. अर्थ शास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि लोक प्रशासन कस संबंध व्यक्तियों से है	2
26	1. संगठन का एक निर्धारित उद्देश्य होता है 2. संगठन विभिन्न व्यक्तियों का समूह होता है चाहे वह छोटा अथवा बड़ा हो	2
27	1. निश्चित स्थानीय क्षेत्र 2.स्थानीय लोगों की सेवा 3. स्थानीय आया के साधन	2
28	बजट शब्द फ़्रांसीसी भाषा के बोजेट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है - एक चमड़े का थैला । बजट का अर्थ होता है कि एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत होने वाले आय - व्यय का वार्षिक वितीय विवरण ।	2
29	1. सार्वजनिक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है 2.यह समिति धन संबंधी अनुचित उपयोग कि तरफ संसद का ध्यान केन्द्रित करती है	2
30	लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है जैसे जैसे राज्य कि संस्थाएं परिवर्तित होती जा रहीं हैं वैसे वैसे लोक प्रशासन का महत्व बढ़ता जायगा ।वर्तमान समय में लोकप्रशासन व्यावहारिक रूप से हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर छा चुका है तथा वह हमारी सभ्यता का मूलाधार बन गया है ।लोक प्रशासन का महत्व निम्न प्रकार से है - 1.लोक प्रशासन मनुष्यों के व्यक्तिगत जीवन में भूमिका अदा करता है 2.लोक प्रशासन का प्रशासकों के लिए महत्व है 3. यह सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति है	4

Downloaded from cclchapter.com

	4.लोक प्रशासन प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करता है 5. यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है	
31	लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में पाई जाने वाली समानताएं निम्नलिखित हैं 1. सामान्य कौशल : - दोनों में जिस कौशल कि आवश्यकता है वह बहुत कुछ समान होता है जैसे एक डॉक्टर बी व्यक्तिगत अस्पताल में कार्य करता है वह काल सरकारी अस्पताल में सर्विस क्र सकता है ,क्योकि डॉक्टर किसी भी अस्पताल में हो , एक जैसे कौशल का ही प्रयोग करेगा 2. जन सम्पर्क का महत्व : - दोनों ही प्रकार के प्रशासन जन सम्पर्क को अच्छी तरह से समझते हैं ,क्योकि जन सम्पर्क के अभाव में किसीका भी प्रशासन सफल नहीं होता दोनों ही जन सम्पर्क बनाने कि हर सम्भव कोशिश करते हैं 3 पद सोपान कि स्थापना :- दोनों प्रशासन पद सोपान कि व्यवस्था करते हैं ।दोनों प्रशासनो में विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों कि नियक्ति कि जाता है ,जिनके कार्य तथा जिमेदारियां निश्चित हैं . 4. नियम और विधान :-दोनों प्रशासन में कर्मचारी नियमों के अनुसार कार्य करते हैं किस भी नियम का उल्लघन नहीं क्या जा सकता । प्रशासन कि प्रत्येक गतिविधि के लिए नियम आयर उपनियम बनाए जाते हैं और सख्ती से लागू किये जाते हैं	4
32	मुख्यमंत्री के कार्य बहुत विस्तृत हैं राज्य में उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे की प्रधानमंत्री की केंद्र में है । मुख्यमंत्री के कार्य निम्नलिखित हैं :- 1. विभागों का बटवारा 2. मंत्रियों को पदों से हटाना 3. मंत्रिपरिषद का निर्माण करना 4.राज्यपाल का मुख्य सलाहकार 5.विधान सभा को भंग करना 6. मंत्रीमंडल की बैठकों कि अध्यक्षता करना 7.विभिन्न विभागों में समन्वय करना	4
33	साधारण भाषा में समन्वय से अभिप्राय है संगठन के कार्यकलापों एवं गतिविधियों में उचित संबंध , समायोजन तथा तालमेल स्थापित करना । संगठन के भिन्न भिन्न विभागों तथा इकाईयों के मध्य परस्पर समायोजन और सामंजस्य ही समन्वय है ।	4

Downloaded from cclchapter.com

	चार्ल्सवर्थ के अनुसार ," समन्वय का अर्थ है विभिन्न भागों का एक व्यवस्थित रूप में एकीकरण ताकि संगठन के उदेश्य कि प्राप्ति की जा सके " मूने के अनुसार ," किसी लक्ष्य कि प्राप्ति के लिए उपयुक्त होने वले प्रयत्नों मं कार्यों की एकता तथा उनको क्रमिक रूप से संगठित करने को ही समन्वय कहतें हैं "	
34	पंचायत समिति अपने क्षेत्र में सभी विकास कार्यों के प्रति उतरदायी है ।यह निम्नलिखित कार्य करती है :- 1. कृषि एवं सिचाई :- वह अपने ब्लाक में उपज बढ़ाने के लिए अच्छे बीज एवं खाद तथा वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का प्रशिक्षण, सिचाई के साधनों को जुटाना आदि कार्य करती है । 2. वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना :-अपने खंड में आने वाली पंचायतों का निरिक्षण ,वार्षिक योजनाओं पर विचार करती है और इनको जिला परिषद को भेजना । 3. स्वास्थ्य एवं सफाई :- यह स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बिमारियों कि रोकथाम ,टीके लगवाने , पीने के स्वच्छ पानी , गाँव में सफाई आदि का प्रबन्धन करती है यह चिकित्सालयों ,परिवार नियोजन केंद्र ,प्रसूति गृहालय व् शिशु-कल्याण केन्द्रों की स्थापना और देखभाल करती है 4.पशु पालन व् मछली पालन :- पशुओं कि नस्ल सुधारना , उनकी चिकित्सा का प्रबंध करना , अच्छेचारे कि व्यवस्था करना शुद्ध दूध जुटाना और मछली पालन के कार्य को प्रोत्साहित करना इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं	4
35	नगर निकायों कि आमदनी के स्रोत निम्नलिखित हैं - 1.सम्पति कर 2. व्यवसाय कर 3.गृह कर 4. गाड़ियों और पशुओं पर कर 5.मनोरंजन कर 6.विज्ञापनो पर कर 7. मकानों के नक्शे पास करने की फीस 8 . बिजली उपयोग पर कर	4
36	मुख्यमंत्री के कार्य बहुत विस्तृत हैं राज्य में उसकी स्थिति वैसे ही है जैसे की प्रधानमंत्री की केंद्र में है । मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित हैं :-	6

Downloaded from cclchapter.com

	1. विभागों का बटवारा 2. मंत्रियों को पदों से हटाना 3. मंत्रिपरिषद का निर्माण करना 4.राज्यपाल का मुख्य सलाहकार 5.विधान सभा को भंग करना 6. मंत्रीमंडल की बैठकों कि अध्यक्षता करना 7.विभिन्न विभागों में समन्वय करना 8. दल का नेता 9. महतवपूर्ण पदों पर नियुक्तियां 10. जनता का नेता 11. राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्य कड़ी अथवा भारतीय सविंधान के द्वारा राज्यपाल को बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं । राज्य में राज्यपाल को लगभग वही शक्तियाँ तथा अधिकार प्राप्त हैं , जो कि केंद्र में राष्ट्रपति को प्राप्त हैं । डी डी बसु के अनुसार," राज्यपाल कि शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं ,सिर्फ कुटनीतिक , सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोडकर" । राज्यपाल कि शक्तियों का विवरण इस प्रकार से है - 1.कार्यपालिका शक्ति :- राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम पर किये जाते हैं । राज्यपाल मुख्यमंत्री कि नियुक्ति , मंत्री परिषद का गठन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति , राज्य के महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के सदस्यों कि नियुक्ति करता है। 2. विधायी शक्ति :- राज्यपाल विधान सभा का सत्रावसान करता है ।विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देता है । वह अध्यादेश जारी कर सकता है । वह किसी लंबित विधेयक पर संदेश भेज सकता है । 3. वितीय शक्ति: - राज्यपाल कि पूर्व स्वीकृति से धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है । वार्षिक बजट राज्यपाल वितमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है । राज्य कि आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है । 4. न्यायिक शक्ति :- राज्यपाल किसी भी अपराधी ,जिसने राज्य के क़ानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो उसको क्षमा कर सकता है , घटा सकता या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। जिला न्यायालयों का न्यायधीशों कि नियुक्ति और पदोन्नति करता है ।	

Downloaded from cclchapter.com

37	न्याय प्रशासन को छोड़कर जिले के बाकी सभी कार्यक्रम और गतिविधियां उपायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं मोटे तौर पर वह नियमित तथा विकास कार्य करता है। जिलाधीश निम्नलिखित मुख्य कार्य करता है :- 1.कानून व्यवस्था बनाए रखना:- कानून व व्यवस्था बनाए रखना जिलाधीश का सबसे महत्वपूर्ण और पुराना कार्य है ।पिछले दशक से कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है ।जातीय दंगों और धार्मिक दंगों के कारण जिलाधीश के सामने अनेक चुनौतियां सामने आई हैं । 2.राजस्व एकत्रित करना :-जिलाधीश का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य राजस्व एकत्रित करना है इसी कारण से कलेक्टर कहते हैं, हालाँकि राजस्व के अतिरिक्त करने का स्पष्ट अर्थ भू-.राजस्व इकट्ठा करना है इसके अतिरिक्त जिलाधीश कृषि से प्राप्त आयकर का अनुमान लगाने और भूमि जोतने वालों के हितों की रक्षा करता है । 3.कार्यकारी शक्तियां :-जिलाधीश जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई सभी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का उत्तरदायित्व उसी का है । जिलों का अध्यक्ष होने की स्थिति में कई प्रशासकीय कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं । 4.तकनीकी विभागों से संबंधित कार्य:- जिले के अन्य तकनीकी विभागों के संबंध में उसके सलाहकार की भूमिका होती है। इन तकनीकी विभागों के अंतर्गत कृषि विभाग सिंचाई विभाग तथा उद्योग विभाग आते हैं ।तकनीकी विभागों के सभी अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट उपायुक्त के द्वारा लिखी जाती है। 5. विकास कार्य :- विकास और कल्याणकारी कार्यों के वृद्धि होने के कारण जिलाधीश की जिम्मेदारियां बढ़ी है राष्ट्रीय विकास की योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करने वाले विभागों की गतिविधियों में समन्वय लाने में गहरी रुचि रखता है । 6. स्थानीय स्वशासन की समस्याओं से संबंधित कार्य :-जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय शासन की संस्थाओं के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करता है ,जिला परिषद की स्वीकृति योजनाओं को पास करता है,इन संस्थाओं कपर समन्वय और वित्तीय नियंत्रण रखता है अथवा जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यों का विवरण इस प्रकार से है :- जिला पुलिस अधीक्षक अपने जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। वह जिले में पुलिस बल की दक्षता, मनोबल और अनुशासन को बनाए रखने के प्रति जवाबदेह होता है। पुलिस अधीक्षक विभिन्न परिस्थितियों में जैसे मेला,	6

Downloaded from cclchapter.com

	त्योहारों के साथ-साथ चुनाव और आंदोलन आदि के लिए पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था करता है। जिला पुलिस अधीक्षक जिले में अपराधों को रोकने की व्यस्था करता है । कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को पकड़कर सजा करवाने में सहायता करते हैं ताकि अपराध पर रोक लगाई जा सके । पुलिस अधीक्षक पुलिस बलों द्वारा प्रभावी का गश्त , गंभीर अपराधों की जांच, आपराधिक मामलों के बारे में रिपोर्ट बनाने और प्राप्त करने और निरंतर निगरानी रखने के लिए जिले में अपराध की घटनाओं को नियंत्रित करता है ।वह अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है वह जिला या राज्य पुलिस संगठन पूरे देश में फैले पुलिस स्टेशनों के नेटवर्क को नियंत्रित करता है।	
38	प्रशासन तंत्र को व्यवस्थित और संतोषजनक ढंग से चलाने के लिए अधिकारी और जनता के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए । प्रशासन की सफलता के लिए जनता का सहयोग और विश्वास मिलना चाहिए। एक अच्छे जनसंपर्क अधिकारी के निम्नलिखित गुण होने चाहिए:- 1.एक लक्ष्य लोक सम्पर्क अधिकारी में लोगों की सामाजिक स्थिति सामूहिक मनोवृति एवं स्वभाव को जानने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उसी अनुरूप आचरण करके प्रशासन के कार्य और नीतियों के प्रति अपने पक्ष में कर सकें। 2.एक अच्छे लोग संपर्क अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या पत्राचार के माध्यम से अनेक अवसरों पर जनता के संपर्क में आना चाहिए जिससे लोगों के प्रति सहानुभूति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए जिससे लोगों के मन में सही जानकारी और प्रशासन के संबंध में उनके सही दृष्टिकोण का पता चलता रहे। 3.एक अच्छे लोग संपर्क अधिकारी को चाहिए कि नौकरशाह की तरह चिड़चिड़ा हृदयहीन और उजड़ व्यवहार ना करें, बल्कि अपने आपको एक अच्छे जन सेवक के रूप में प्रस्तुत करें ताकि प्रशासन के लिए जनता का वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके। 4. एक अच्छे लोक सम्पर्क अधिकारी को जनता से भेंट करने का अवसर निश्चित कर लेना चाहिए यदि उस समय अधिकारी किसी न छोड़ने लायक काम में लगा है आगंतुकों के समक्ष खेद प्रकट करना चाहिए करना चाहिए और तब यदि संभव हो तो प्रतीक्षा वालों को करने वालों को सुविधा अनुसार कोई अन्य समय निश्चित कर लेना चाहिए लोक संपर्क अधिकारी का ऐसा व्यवहार जनता का प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करता है। 5. एक अच्छे लोग संपर्क अधिकारी को राजनीति से तटस्थ रहना चाहिए उसे कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि जनता को उसके विशेष दल विशेष के पक्षपाती होने की गंद मिले । इस तरह से उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह जनता की सहानुभूति ,समर्थन और प्रशंसा पा सके ।	6

Downloaded from cclchapter.com

	6. एक अच्छा लोक संपर्क अधिकारी तभी बन सकता है,जब वह सच के साथ हो लोक संपर्क अधिकारी की दूरदृष्टि होनी चाहिए उसे भविष्य में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए । एक लोक संपर्क अधिकारी में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए अगर किसी भी परिस्थिति में कोई फैसला लेना पड़ जाए तो घबराहट न हो और जल्दी फैसला ले सके । इससे स्पष्ट है कि एक जनतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में सरकारी अधिकारियों एवं लोक संपर्क अधिकारियों के दायित्व बड़े और विविध हैं वे जनता के सहयोग से और उनमें विश्वास पैदा करके ही अपने दायित्वों का जनहित में निर्वाह कर सकते हैं ।लोक संपर्क अधिकारी जितना अधिक इन गुणों को ग्रहण करेंगे उतने ही अच्छे प्रशासक होंगे। अथवा जनता और प्रशासन के बीच संपर्क होने चाहिए विशेषकर आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जहां प्रमुख शक्ति जनता के हाथ में होती है इसके महत्व के संबंध में अत्युक्ति नहीं की जा सकती। निम्नलिखित तथ्यों से लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन के लिए लोक संपर्क के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है:- 1. नीति निर्माण में सहायक :-लोकतांत्रिक शासन में जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार नीति का निर्माण किया जाना चाहिए अन्यथा जनता का प्रशासन के प्रति आक्रोश बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में जनता की आवश्यकता और समस्याओं को लोक संपर्क के द्वारा ही ठीक प्रकार से आकलन किया जाता और प्रशासन को उनके अनुरूप नीतियां बनाने के लिए सुझाव दिया जाता है। 2. प्रशासक के पक्ष में जनमत के निर्माण में सहायक:- आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत प्रशासन का स्वामी होता है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है ।सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यों के बारे में जनता को सूचनाएं देते रहें । जनतांत्रिक प्रशासन का भी यह कथन भी है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अपने कार्यों का तालमेल बैठाने की दृष्टि में जनमत जानने का प्रयास करें । यदि प्रशासन जनतंत्र की परवाह नहीं करेगा तो जनता की सहानुभूति और समर्थन नहीं पा सकेगा जिससे प्रशासन का संचालन ही कल्पना मात्र बनकर रह जाएगा। अतः केवल लोक संपर्क द्वारा ही प्रशासन को जनमत के अनुरूप बनाया जा सकता है। 3.प्रशासन की सफलता में सहायक :-आधुनिक कल्याणकारी राज्य के द्वारा व्यक्तियों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्य और योजनाओं को लागू किया जाता है । लोक संपर्क न केवल जनता को प्रशासन की उन गतिविधियों की जानकारी देता है, बल्कि उनके संबंध में लोगों की जो प्रतिक्रियाएं ,आलोचनाएं ,या शंकाएं होती है ,उन्हें प्रशासन तक पहुंचा कर समाधान करवाता है लोक संपर्क आम जनता के प्रशासन के साथ सहयोग के लिए प्रेरित करता है, जिससे प्रशासन की सफलता के लिए आधार तैयार होता है।	

Downloaded from cclchapter.com

	4. प्रशासन में समय अनुकूल परिवर्तन :-आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्णत जनमत पर आधारित होती है, इसलिए सरकार सदैव इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप समय अनुकूल अपने नीति और कार्यक्रम का निर्माण करती रहती है अन्यथा सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा । लोक संपर्क ही समाज में होने वाले लोगों के विचारों दृष्टिकोण और मूल्यों की जानकारी प्रशासन को प्रदान करता रहता है ,जिसके पश्चात प्रशासन समय अनुकूल नीतियों में परिवर्तन करके जन सहयोग प्राप्त करने का भरसक प्रयास कर सकता है। 5.संगठन के मुखिया को अपना उत्तरदायित्व पूरा करने में सहायक :-लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासकीय उत्तरदायित्व जनता द्वारा राजनीतिक आधार पर निर्वाचित राजनीतिक अध्यक्ष (मंत्रियों) का होता है , जो स्थायी अध्यक्ष (नौकरशाही) की सहायता से अपना कार्य करते हैं ।राजनीतिक मुखिया या अध्यक्ष को लोक संपर्क विभाग द्वारा यह परामर्श दिया जाता है कि वह किस समय और कौन सी सार्वजनिकघोषणा करें ताकि जनमत का समर्थन प्रशासन के पक्ष में बना रहे।	

Downloaded from cclchapter.com